

## Order sheet [Contd]

case No. BA-67 / 2018

	Order or proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
05-03-18	<p>पीठासीन अधिकारी के ट्रेनिंग पर होने से प्रकरण मेरे समक्ष प्रस्तुत।</p> <p>आवेदक दिलीप सिंह द्वारा श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव अधिवक्ता उप0।</p> <p>अनावेदक क्रमांक 01/राज्य द्वारा श्री बी.एस. बघेल अतिरिक्त अपर लोक अभियोजक उपस्थित।</p> <p>अनावेदक क्रमांक 02/परिवादी रमाभरोसे शिक्षा समिति द्वारा श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता उपस्थित।</p> <p>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद (श्री ए0के0 गुप्ता) के मूल आपराधिक प्रकरण क्रमांक 42/12 परिवाद उनवान रमाभरोसे शिक्षा समिति बनाम दिलीप आदि का मूल अभिलेख प्राप्त।</p> <p>परिवादी की ओर से केशव सिंह यादव का शपथ पत्र एवं माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर का आदेश दिनांक 12.02.18 की फोटोप्रति पूर्व से ही प्रस्तुत है।</p> <p>आवेदक के जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 438 दफ़्तर के साथ आवेदक दिलीप सिंह के साले जितेन्द्र सिंह यादव के द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है। आवेदन एवं शपथपत्र में व्यक्त किया गया है कि यह आवेदक का द्वितीय अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 438 दफ़्तर का है। इस प्रकृति का अन्य कोई आवेदन इस न्यायालय, समक्ष न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष न तो प्रस्तुत किया गया है और न ही निरस्त हुआ है। प्रथम अग्रिम जमानत आवेदन दिनांक 01.10.2012 को इस न्यायालय के द्वारा निरस्त किया गया।</p> <p>आवेदक के द्वितीय अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 438 दफ़्तर पर उभयपक्ष के तर्क सुने गये।</p> <p>आवेदक की ओर से व्यक्त किया गया है कि अनावेदक क्रमांक 02 के द्वारा विरोधियों के बहकावे में आकर अपराध पंजीबद्ध कराया गया है। आवेदक अनावेदक क्रमांक 02 का खास छोटा भाई है। आवेदक ने कोई अपराध नहीं किया है उसे झूठा फसाया गया है। उभयपक्ष के मध्य राजीनामा हो चुका है। पारिवारिक मामला है। आवेदक इज्जतदार व्यक्ति है यदि उसे गिरफ़्तार कर लिया गया तो उसकी प्रतिष्ठा धूमिल हो जायेगी। अनावेदक क्रमांक 02 से आवेदक और उसकी पत्नी किरण यादव का राजीनामा हो गया है। किरण यादव का जमानत आवेदन माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा स्वीकार किया गया है। आवेदक का भी मामला उसके समान है। उक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गयी है।</p>	

	Order or proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	<p>राज्य की ओर से जमानत आवेदन का विरोध किया गया है और जमानत निरस्त किये जाने पर बल दिया गया है।</p> <p>अनावेदक क्रमांक 02/ परिवादी राम भरोसे शिक्षा समिति की ओर से कोई आपत्ति नहीं की गयी है और व्यक्त किया गया है कि उनका समिति के वर्तमान अध्यक्ष रहते हुए आवेदक से राजीनामा हो गया है उनकी ओर से भी अग्रिम जमानत स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की गयी है।</p> <p>उभयपक्ष को सुने जाने तथा प्रकरण का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि परिवादी के अनुसार सहअभियुक्त दिलीप सिंह यादव परिवादी संस्था का पूर्व अध्यक्ष था। उसके द्वारा 28.01.2004 को संस्था के अध्यक्ष पद से स्वेच्छया से त्यागपत्र देने के कारण इस समिति का अध्यक्ष नहीं रहा था तथा केशव सिंह यादव को अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, परंतु दिलीप सिंह ने स्वयं को अध्यक्ष बताते हुए अपनी पत्नी श्रीमती किरण यादव के नाम से संस्था गठित करके परिवादी संस्था की सम्पत्ति पर बयनामा दिनांक 18.12.2006 को निष्पादित कर दिया। उक्त परिवाद दिनांक 02.02.2012 को पंजीबद्ध किया गया और श्रीमती किरण यादव एवं दिलीप सिंह यादव के विरुद्ध धारा 420, 467, 468 भादसं के तहत संज्ञान लिया गया।</p> <p>प्रकरण का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि दिनांक 01.10.2012 को आवेदक की ओर से प्रस्तुत प्रथम अग्रिम जमानत आवेदन गुणदोष के आधार पर निराकृत होकर आवेदक निरस्त किया गया है।</p> <p>परंतु माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के द्वारा एम. सी.आर.सी. क्रमांक 5097/2018 आदेश दिनांक 12.02.2018 के माध्यम से सह अभियुक्त श्रीमती किरण यादव की अग्रिम जमानत का आदेश किया है। जिसकी आदेश की प्रति इंटरनेट से निकाल कर प्रकरण के साथ संलग्न की गई। आवेदक का मामला भी उसके समान है। उभयपक्ष को राजीनामे हेतु विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना है। माननीय उच्च न्यायालय की उपरोक्त आदेश की मंशा को देखते हुए इन बदली हुई परिस्थितियों में द्वितीय अग्रिम जमानत आवेदन को स्वीकार किये जाने के पर्याप्त आधार अभिलेख पर है। अतः आवेदक दिलीप सिंह यादव का द्वितीय अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किया गया।</p> <p>अतः आदेशित किया जाता है कि, यदि आवेदक/अभियुक्त दिलीप सिंह यादव को मूल आपराधिक प्रकरण क्रमांक 42/2012 उनवान रामभरोसे शिक्षा समिति बनाम दिलीप सिंह एवं अन्य अंतर्गत धारा-420, 467, 468 भा0दं0सं0 में गिरफ्तार किया जाता है या अभिरक्षा में लिया जाता है तो उसके द्वारा गिरफ्तारकर्ता अधिकारी की या विचारण न्यायालय की संतुष्टि योग्य, जैसी भी स्थिति हो, आवेदक द्वारा पचास हजार रुपये की सक्षम जमानत व इतनी ही राशि के</p>	

	Order or proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	<p>व्यक्तिगत बंध पत्र निम्न शर्तों के अधीन पेश कर दिये जाते हैं कि—:</p> <p>आवेदक/अभियुक्त विचारण में नियमित उपस्थित होता रहेगा, अभियोजन साक्ष्य को किसी भी रूप से प्रभावित नहीं करेगा, अभियोजन साक्षियों को न्यायालय के समक्ष इस प्रकरण के तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाने के लिए प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरण धमकी या वचन नहीं देगा, फरार नहीं होगा तो उसे अग्रिम जमानत पर छोड़ दिया जावे।</p> <p>यदि इन शर्तों का पालन किया जाता है तभी यह आदेश प्रभावी रहेगा।</p> <p>परिणाम अंकित कर प्रपत्र अभिलेखागार में भेजे जावे।</p> <p>मूल अभिलेख ओदश की प्रति सहित वापिस किया जावे।</p> <p style="text-align: right;">(मोहम्मद अजहर) द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड</p> <p>प्रतिलिपि:—</p> <p>न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद (श्री ए.के. गुप्ता) की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।</p> <p style="text-align: right;">(मोहम्मद अजहर) द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड</p>	

	Order or proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)